संख्या–264/वि.आ.निदे. /XXVII(1)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–मुख्य नगर अधिकारी/
नगर निगम, देहरादून।
2–मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी,
हरिद्वार/ हल्द्वानी/ रूद्रपुर/ रूड़की/ काशीपुर
/ऋषिकेश/कोटद्वार,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः: दिनांकः 29 मार्च, 2019**

विषयः– **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर निगमों को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त नगर निगमों को मूल अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु ₹24,59,00,000.00 (₹चौबीस करोड़ उनसठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

1. अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने यथाः जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों के रख–रखाव हेतु किया जायेगा।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के नवीनतम आंकड़ों एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर 14वें वित्त आयोग की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे।
4. अवमुक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित एनेक्सर–III पर वांछित सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 30.06.2019 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।
7. अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध करायेगा।
8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण

विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

9. अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 की **अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन— 01— नगरीय स्थानीय निकाय—191—नगर निगम—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0103—केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता** के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या— /वि.आ.निदे./XXVII(1)/ 2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
3. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, जनपद— देहरादून/हरिद्वार/ नैनीताल/ उद्यमसिंह नगर/ पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जो.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62, राजपुर रोड़ रोड, देहरादून।
9. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 264 /वि.आ.निदे./xxvii(1)/2018

::देहरादून:: दिनांकः 29 मार्च, 2019

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में मूल अनुदान के अन्तर्गत समस्त नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु संस्तुत धनराशि का विवरण

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
1–नगर निगमः–			
1–देहरादून	1	देहरादून	81869
	2	ऋषिकेश	22196
		योग	**104065**
2–हरिद्वार	3	हरिद्वार	28651
	4	रूड़की	30702
		योग	**59353**
3–नैनीताल	5	हल्द्वानी	26128
		योग	**26128**
4–ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	24405
	7	रूद्रपुर	25595
		योग	**50000**
5–पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	6354
		योग	**6354**
योग			**245900**

(₹चौबीस करोड़ उनसठ लाख मात्र)

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2018-2019

अनुदान शंख्या - 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

01 - नगरीय स्थानीय निकाय

191 - नगर निगम

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

03 - केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1903073772	28-MAR-2019	104065000	104065000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1903073774	28-MAR-2019	26128000	26128000	
3	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1903073777	28-MAR-2019	6354000	6354000	
4	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1903073773	28-MAR-2019	59353000	59353000	
5	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1903073776	28-MAR-2019	50000000	50000000	
		Total :			245900000	245900000	